महत्वपूर्ण एवं खास

तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा,चालक की मौत

❐ अपराध कायम कर जांच में जुटी पुलिस

रायपुर (आरएनएस)। तेज रफ्तार ट्रैक्टर पटल जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं साथ बैठा आपचारी बालक घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट धरसींवा थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार मठपारा टिकरापारा निवासी आपचारी बालक 17 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी 16 मई को 10.30 बजे ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 04 एनजे 5678 का चालक मनीष साहू 20 वर्ष पिता समारु साहू के साथ गया था तभी ग्राम गोंढ़ी बंधिया तालाब के पास टैक्टर मोड़ते समय तेज रफ्तार होने की वजह से पलट जाने की वजह से चालक की मौत हो गई तथा आपचारी बालक घायल हो गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ धारा 279,337,304 ए के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की पूरक/अवसर परीक्षा 2020 के परिणाम आज शाम 5.30 बजे जारी कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएलएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की पूरक/अवसर परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च 2021 तक आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में प्रथम वर्ष में 1496 परीक्षार्थी एवं द्वितीय वर्ष में 28 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा परिणाम का अवलोकन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाईट पर किया जा सकता है।

कृषि विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश एन.टी.ए. स्कोर के आधार पर मिलेगा

❐ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित

❐ अंतिम निर्णय कोविड-2019 महामारी की परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा

रायपुर (आरएनएस)। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्क्रमों एम.एस.सी. कृषि, उद्यानिकी, वानिकी एवं एम.टेक. कृषि अभियांत्रिकी में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी.ई.टी.) का आयोजन आगामी जून माह में किया जाना प्रस्तावित है। इस परीक्षा की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गयी है, यह निर्णय कोविड-19 महामारी की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए लिया जायेगा। इसी प्रकार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश एन.टी.ए. (नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी) नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली परीक्षा (आई.सी.ए.आर.-ए.आई.सी.ई.-जे.आर.एफ/एस.आर.एफ) के माध्यम से दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु एन.टी.ए. की मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी एवं मेरिट की रैंकिंग के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा। यह परीक्षा जून 2021 में आयोजित किये जाने की संभावना है।

लॉटरी लगने का झांसा देकर महिला से लाखों की ठगी

बिलासपुर (आरएनएस)। जिले के सरकंडा इलाके में एक महिला से लाखों की ठगी हो गई है। आरोपी ने महिला को लॉटरी का झांसा देकर लाखों पर चपत कर गया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत सरकंड़ा पुलिस से की है। जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपी ने महिला को फोन कर लॉटरी की जानकारी दी। इस दौरान आरोपी ने कई बड़े–बड़े सपने दिखाकर बैंक समेत पूरी डिटेल मांग ली। महिला ने बताया कि बातों में आकर सभी जानकारी दे दी। वहीं इसके कुछ देर बार अकाउंट से पैसे कट गए। बताया कि आरोपी ने 9 लाख 20 हजार रुपए की ठगी की है। सरकंड़ा पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति में तेज सुधार, संक्रमण दर अब मात्र 9 फीसदी

» दैनिक औसत टेस्टिंग में जनवरी के मुकाबले लगभग तीन गुना वृद्धि

» अब तक 65 लाख से अधिक लोगों को मिली वैक्सीन की डोज

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य में संक्रमण-दर में तेज गिरवाट दर्ज की जा रही है। 16 मई को यह आंकड़ा 9 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि अप्रैल माह में संक्रमण की दर 30 प्रतिशत तक जा पहुंची थी। इसी तरह दैनिक औसत टेस्टिंग जनवरी माह के 22 हजार 761 की तुलना में मई माह में 64 हजार 338 हो चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण का काम भी तेज गति से जारी है। 16 मई तक राज्य में कुल 65 लाख 38 हजार लोगों लोगों को वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अपनी ठोस रणनीति से छत्तीसगढ़ ने न केवल कोरोना की दूसरी लहर पर शीघ्रता से काबू पा लिया है, बल्कि तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करने व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। यदि तीसरी लहर आती भी है तो उससे और भी कुशलता के साथ निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस समय हमारा पूरा जोर ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने तथा वहां टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उपचार की सुविधाओं के विस्तार पर है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की जा रही सतत् मॉनिटरिंग और निर्देशन से अब 39 लैबों में ट्रूनाट और 15 में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा मुहैया करायी जा ही है। इसके साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बलौदाबजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर और कोरबा में 6 नये शासकीय लैब और तैयार हो रहे है। एंटिजन टेस्ट राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों स्तर तक उपलब्ध है जबकि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त मशीन प्रदाय कर टूऊनाअ लैब की जांच क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

कोरोना संक्रमण के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों से संक्रमण दर में तेज गिरावट आयी है, अप्रैल में जो संक्रमण दर 30 प्रतिशत के करीब थी वह उतरकर अब 9 प्रतिशत हो गई है। पिछले साल जहां कोविड संक्रमित मरीज पर औसत 4 से 5 कॉटेक्ट्स को ही टेऊक्र किया जा रहा था वहीं अब हर कोविड मरीज के 7 संपर्को की तलाश और उनकी जांच सुनिश्चित की जा रही है जिससे संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है।

प्रदेश में वर्तमान में 1019 कॉटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किये गए हैं जहां घर-घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा कुल 154 कोविड केयर सेण्टर बनाए गए हैं इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी बनाए गए है। शासकीय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 5294 बेड तथा कोविड केयर सेण्टर में 16405 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। निजी कोविड अस्पतालों में 9 हजार 596 बेड उपलब्ध कराए गए है। इसके साथ ही कुल 1151 वेटिंलेटर उपलब्ध कराए गए है जिसमें 526 शासकीय और 625 निजी अस्पतालों में है।

ऑक्सीजेनेटेड बेड की संख्या बढ़ाये के लिए राज्य में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किये गए हैं इसके अतिरिक्त 6 प्लांट्स प्रक्रियाधीन हैं इनमे से 3 प्लांट अगले एक सप्ताह में स्थापित हो जायेंगे। रायपुर मेडिकल कॉलेज में एक विशेष टेलीकंसल्टेशन हब स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से मई 2020 से कॉलेज के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक दिन सभी शासकीय डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उन्हें टेलीकंसल्टेशन प्रदान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर टेली राउंड भी लिए जाते हैं।

वर्तमान में सामान्य मरीजों की सुविधा के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में वर्चुअल ओ.पी.डी. की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। यह सुविधा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक उपलब्ध है। इस दौरान मेडिसिन विभाग, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग एवं मनोरोग विभाग के विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से लाकडाउन में मिली छूट का लाभ सावधानी के साथ लेने की अपील की

» थोड़ी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सतत रूप से पालन करते रहने की अपील की है। श्री बघेल ने कहा है कि हम सभी ने बहुत मुश्किलें झेलकर कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित किया है, हमें हर हाल में तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करना है। इस दूसरी लहर में न केवल हमें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि बहुत से करीबियों को भी हमसे छीन लिया है। उन्होंने कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से कोरोना संक्रमण दर को हम 30 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक लाने में कामयाब हुए हैं। कोरोना की स्थिति में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए राज्य शासन ने लाकडाउन के प्रतिबंधों में थोड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट जन-सामान्य की मुश्किलों को थोड़ा आसान करने के लिए दी जा रही है।

इस छूट के दौरान भी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजिंग का पालन करते रहना होगा, अन्यथा निकट भविष्य में हमें और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से यह भी अपील की है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं, जिन लोगों को टीका का पहला डोज लग गया है वो निर्धारित समय अवधि के बार टीका का दूसरा डोज अवश्य लगवाए तभी हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे।

18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण में तेजी : अब तक 4.77 लाख युवाओं को लगाए गए टीके

» सीजी टीका वेब पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण के लिए करा सकते हैं पंजीयन

» प्रदेश में पहली और दूसरी खुराक मिलाकर कुल 65.38 लाख टीकाकरण

रायपुर, 17 मई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक (16 मई तक) इस आयु वर्ग के चार लाख 77 हजार 044 युवाओं को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें अंत्योदय राशनकार्डधारी परिवारों के 83 हजार 303, बीपीएल वर्ग के दो लाख चार हजार 603, एपीएल के एक लाख 33 हजार 181 और 55 हजार 957 युवा फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। प्रदेश को इस आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए अब तक कुल सात लाख 97 हजार टीकों की आपूर्ति हुई है जिन्हें सभी जिलों को वितरित कर दिया गया है। चारों वर्गो के टीकाकरण के लिए सभी जिलों में टीके उपलब्ध हैं।

प्रदेश के 18 से 44 वर्ष के युवा टीकाकरण के लिए राज्य शासन के वेब पोर्टल cgteeka.cgstate.gov.in के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। इस आयु वर्ग के लिए एक ही टीकाकरण केंद्र पर अलग-अलग वर्गो के लिए बनाए गए साइट्स पर टीके का वेस्टेज रोकने के लिए वायल में बचे हुए टीकों को आपस में साझा किया जा रहा है। इससे टीकों को बर्बाद होने से बचाने में बहुत मदद मिल रही है।

प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग को कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए पहले टीके तथा 45 वर्ष से अधिक के लोगों को लगाए गए पहले और दूसरे डोज को मिलाकर कुल 65 लाख 38 हजार 063 टीके लगाए गए हैं। इनमें तीन लाख चार हजार 056 स्वास्थ्य कर्मी, तीन लाख तीन हजार 761 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 43 लाख 74 हजार 937 नागरिक और 18 से 44 वर्ष के चार लाख 77 हजार 044 युवा शामिल हैं। प्रदेश भर के विभिन्न टीकाकरण साइट्स में प्रतिदिन बड़ी संख्या में 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों और 18 से 44 वर्ष के युवाओं को टीके लगाए जा रहे हैं।

अनियंत्रित डायबिटीज और स्टेरायड के अत्यधिक उपयोग से ब्लैक फंगस की संभावना अधिक, 76 प्रकरण हैं अभी राज्य में सभी का इलाज जारी

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में ब्लैक फंगस (म्युकरमाइकोसिस) से ग्रसित मरीज के प्रकरण आ रहे हैं। अभी तक प्रदेष में 76 प्रकरण सामने आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में इसके इलाज के लिए पर्याप्त दवाईयां हैं। राज्य में ब्लैक फंगस (म्युकरमाइकोसिस) का इलाज सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जाएगा।

ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नही है।यह एक मरीज से दूसरे मरीज को नही फैलता है। यह सेंकेडरी संक्रमण की श्रेणी में आता है। यह उन मरीजों को ज्यादा प्रभावित करता है जिन्हे अनियंत्रित डायबिटीज हो और कोविड से ग्रस्त होने के कारण स्टेरायड दवाई से उनका उपचार हुआ हो। यह बीमारी व्यक्तिगत साफ सफाई,मुख की साफ सफाई नही रखने वाले व्यक्तियों को अधिक हो सकती है। इसके अलावा जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ हो और उन्हे इम्यूनोसप्रेसेंट दवाईयां दी गई हों ,उनमें भी ब्लैक फंगस होने की संभावना अधिक होती है।

पीड़ित मरीजों के उपचार हेतु राज्य के तकनीकी समिति के विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित स्टैन्डर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को जारी किया है।

❐ ब्लैक फंगस की सामान्य जानकारी व उससे बचने के उपाय – ब्लैक फंगस (म्युकरमाइकोसिस) एक फंगल संक्रमण है। यह उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित है और दवाईयां ले रहे हैं। इससे उनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रभावित होती है। यदि व्यक्ति के शरीर में यह फंगस सूक्ष्म रूप में शरीर के अन्दर चला जाता है तो उसके साइनस या फेफड़े प्रभावित होंगे जिससे गम्भीर बीमारी हो सकती है। यदि इस बीमारी का इलाज समय पर नहीं किया गया तो यह घातक हो सकती है।

❐ यह बीमारी किसे हो सकती है – यह बीमारी कोविड-19 मरीजों में जो डायबीटिक मरीज हैं या अनियंत्रित डायबीटिज वाले व्यक्ति को, स्टेरोईड दवाईयां ले रहे व्यक्ति को या आई.सी.यू. में अधिक समय तक भर्ती रहने से यह बीमारी हो सकती है। यदि निम्नानुसार लक्षण दिखे तो चिकित्सक से तुरंत सम्पर्क करना चाहिए।

औषधि प्रशासन विभाग को जानकारी दिए बिना पोसाकोनाजोल और एम्फोटेरेसिन-बी का वितरण नहीं कर सकेंगे दवा विक्रेता

» नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने थोक दवा विक्रेताओं को जारी किया परिपत्र

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी थोक दवा विक्रेताओं को इसके इलाज में उपयोग होने वाले पोसाकोनाजोल और एम्फोटेरेसिन-बी के वितरण की जानकारी विभाग को देने के निर्देश दिए हैं। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में सभी थोक औषधि विक्रेताओं को परिपत्र जारी किया है। विभाग ने परिपत्र में कहा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए पोसाकोनाजोल और एम्फोटेरेसिन-बी दवा का युक्तिसंगत वितरण अति आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश के सभी अनुज्ञप्तिधारी थोक औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे इन दोनों दवाओं का वितरण खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को जानकारी दिए बिना न करें। दवा विक्रेताओं द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(बी), 66(1) के तहत अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कोरोना की रोकथाम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के अमूल्य योगदान को सराहा

» सतत रूप से होम विजिट कर प्रदेश के 25 लाख ग्रामीण परिवारों को किया प्रेरित

» सर्दी-खांसी-बुखार के करीब साढे चार लाख मामलों की पहचान की

» 25 लाख लोगों के टीकाकरण में किया सहयोग

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनवाडी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के अमूल्य योगदान की सराहना की है।

उन्होंने कहा है कि इन कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने होम विजिट कर प्रदेश के करीब 25 लाख ग्रामीण परिवारों से सतत रूप से संपर्क किया और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया।

बघेल ने कहा है चाहे शांति काल हो अथवा आपदा काल आंगनबाडी कार्यकर्ताएं तथा सहायिकाओं हमेशा सरकार की ताकत बनकर सक्रिय रही हैं। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार से जुड़े अपने दायित्वों का निर्वहन उन्होंने बखूबी किया है। गांवों में उनकी उपस्थिति एक सेतु की तरह है, जिसके माध्यम से शासन और ग्रामीणजन एक दूसरे तक पहुंचते रहे हैं।

उन्होंने कहा है कि कोरोना की विकट परिस्थितियों में गांवों में संक्रमण की रोकथाम करने, बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने, उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित करने, संक्रमितों तथा उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान करने में भी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं का बड़ा योगदान है। राज्य में लगभग 42 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 18 हजार सहायिकाएं कोविड-19 में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने लगभग 4 लाख 50 हजार सर्दी खांसी बुखार के मरीजों का चिन्हांकन किया। इन कार्यकर्ताओं ने निरंतर होम विजिट करते हुए राज्य के करीब 25 लाख ग्रामीण परिवारों को टीकाकरण तथा कोविड-19 से बचाव के संबंध में जागरूक किया। उन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 25 लाख हितग्राहियों को टीका लगवाने की में सहयोग किया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

उद्यानिकी फसल की सुरक्षा हेतु सामुदायिक फेंसिग योजना का लाभ ले सकते है कृषक

» क्षेत्र के उद्यानिकी अधिकारी को दे सकते है आवेदन

रायगढ़। उद्यानिकी फसल की सुरक्षा हेतु राज्य प्रवर्तित सामुदायिक फेंसिग योजना वर्ष 2021-22 के क्रियान्वयन हेतु किसानों से आवेदन मंगाये गये है। इसके लिये इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के उद्यानिकी अधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते है।

सहायक संचालक उद्यान डॉ.दीवान ने जानकारी देते हुये बताया कि उद्यानिकी फसल की सुरक्षा हेतु राज्य प्रवर्तित सामुदायिक फेंसिग योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल 35 हेक्टेयर (सामा.-15 हेक्टेयर एवं अ.ज.जा.-20 हेक्टेयर) का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे विकासखण्ड वार विभाजित किया गया है।

उद्यानिकी फसल की सुरक्षा हेतु राज्य प्रवर्तित सामुदायिक फेंसिग योजना का लाभ लेने हेतु सामान्य एवं अ.ज.जा. मदवार लक्ष्य निर्धारण किया गया है। उक्त योजना का लाभ लेने हेतु न्यूनतम 02 कृषकों का समूह होना अनिवार्य है। तथा कृषक समूह का रकबा न्यूनतम 0.500 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर रकबा तक लघु /सीमांत कृषकों को लाभ दिये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक कृषक अपने भूमि संबंधित दस्तावेज बी-1, खसरा, आधार कार्ड, कृषक पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक खाता एवं कृषक समूह का भूमि का एक्जाई नक्शा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अपने विकासखण्ड मे पदस्थ उद्यानिकी अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। योजना क्रियान्वयन हेतु कृषकों का चयन 'पहले आओ- पहले पाओ' के आधार पर किया जावेगा। योजना अंतर्गत पिछले 03 वर्षो के लाभान्वित कृषक इस वर्ष में लाभान्वित नही हो सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिये इच्छुक कृषक विकासखण्ड-कार्यालय/प्रभारियों के पास आवेदन/प्रकरण जमा करायेगें।

छ.ग.शासन के दिशा निर्देशानुसार प्रति हेक्टेयर आदान समाग्री-सीमेंट फेंसिग पोल-180 नग एवं चैनलिंक-1000 कि.ग्रा. की कुल लागत राशि 108970 रुपये का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 54485 रुपये अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। प्रति हेक्टेयर मात्रा के अनुसार आदान समाग्री-सीमेंट फेंसिग पोल एवं चैनलिंक कृषक पंजीकृत संस्थाओं यथा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम या उनके अनुबंधित कंपनी से आदान समाग्री क्रय कर 100 प्रतिशत का देयक प्रस्तुत करना होगा तथा अपने प्रक्षेत्र में सीमेंट फेंसिग पोल एवं चैनलिंक फिक्सिंग का कार्य पूर्ण कर जिले के सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा सत्यापन करा कर प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन पश्चात योजना के प्रावधान अनुसार अनुदान राषि कृषक के खाते में डी.बी.टी किया जावेगा।